P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal
Part time Lecturer

Subject - Contract - 1
part - 1

करार की परिभाषा एवं प्रकार
(Kinds and definition of Agreement)

करार की परिभाषा (Definition of Agreement) —
प्रत्येक करार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसमें प्रतिफल का होना अनिवार्य है। प्रतिफल के बिना किया गया करार विधितः changeble नहीं होता। करार और संविदा में शरीर एवं आत्मा का सम्बन्ध है। विधिपूर्ण करार की मान्यता ही संविदा निर्माण की आधारशीला है। करार की उत्पत्ति Legal offer and Legal acceptance से होता है। ऐसा कहा जाता है कि "An Agreement is genus of which Contract is specie" जबकि दो पक्षकारों में से कोई एक व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है तब उसके प्रति अपनी अनुमति या सहमति व्यक्त करता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहीत (Accepted) हुई है। proposal जब Accept कर ली जाती है तो वह प्रतिज्ञा का रूप धारण करती है जो करार है। करार को संविदा अधिनियम की धारा 2(e) में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार - "प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाओं का वर्ग (समूह) जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है (promise or set of promises forming the consideration with each other is an Agreement)
विधिवेत्ता सेविनी के अनुसार- "दो या अधिक व्यक्तियों की अपनी विधिक सम्बन्धों को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति ही करार है।"
विधिक दृष्टि से केवल वे ही करार महत्वपूर्ण है जिसमें पक्षकारों के बीच विधिक दायित्वों अथवा संबंधों का उद्भव होता है। प्रतिफल रहित करार शून्य होता है।

Scanned with CamScanner

Q2 Kinds and definition of Agreement
करार की परिभाषा एवं प्रकार

करार संरचना के लिए यह आवश्यक है कि (i) पक्षों में दो या दो से अधिक पक्षकार का होना आवश्यक है;
(i) पक्षकारों का एक ही विषय पर एक ही भाव में सहमत होना
(ii) पारस्परिक संसूचना होना तथा
(iii) पक्षकारों में विधिक सम्बन्ध कायम करने का इरादा होना।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है और उल्लेखनीय है कि प्रत्येक संविदा में करार समाहित होता, परन्तु आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक करार संविदा हो। केवल विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है।

करार के प्रकार (Kinds of Agreement)
① मान्य करार (Valid Agreement)
② शून्य करार (Void Agreement)
③ शून्यकरणीय करार (Voidable Agreement)
④ अवैध करार (Illegal Agreement)
⑤ अप्रवर्तनीय करार (Unenforceable Agreement)

① मान्य करार वह है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। यह कहना भूल है कि केवल विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रतिफलयुक्त करार ही मान्य हैं, बल्कि कुछ अन्य अर्हताएँ जो धारा 10 में वर्णित हैं जिनसे युक्त करार भी मान्य हैं एवं विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं तथा संविदा की संरचना कर सकते हैं।

② शून्य करार (Void Agreement) → वह करार जो विधि द्वारा अप्रवर्तनीय है, उसे शून्य करार कहते हैं। जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात वह प्रभावहीन होती है। ऐसे करार द्वारा संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से करार शून्य घोषित किये गये हैं। जैसे- व्यापार के अवरोधार्थ करार, विवाह के अवरोधार्थ करार, अवैध करार, विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार, अनिश्चितता से युक्त करार, बाजीयुक्त करार इत्यादि। ये करार किसी भी परिस्थिति में संविदा का रूप धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रतिफल रहित करार भी शून्य होता है। कभी-कभी करार प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अप्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन उन्हें शून्य करार नहीं कहा जा सकता जैसे मियाद समाप्त होने के कारण करार लागू नहीं कराया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि करार मौलिक रूप से शून्य है।

Scanned with CamScanner

P3 करार की परिभाषा एवं प्रकार
(Definition and kinds of Agreement)

(3) शून्यकरणीय करार (voidable Agreement) → शून्यकरणीय करार वह है जो एक अधिकृत पक्षकार द्वारा "अप्रभावकारी" बनाया जाता है। यह तब-तक मान्य एवं वैध होता है जब तक दूसरा पक्षकार उसे शून्य न करा दे। जब किसी करार के लिए सम्मति उत्पीड़न, असम्यक् असर, कपट और मिथ्याव्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है तो कहा जायगा कि करार शून्यकरणीय है। ऐसे करार विधिक संविदा के रूप में दोनों पक्षकार पर तब तक बन्धनकारी होते हैं, जब तक कि एक पक्षकार यह प्रमाणित नहीं कर दे कि उसकी सम्मति प्राप्त करने में बल प्रयोग नहीं किया गया है।

(4) अवैध करार (Illegal Agreement) → धारा - 23 - यदि किसी करार का उद्देश्य व प्रतिफल विधि द्वारा निषिद्ध है, या ऐसे रूप का है कि यदि लागू किया जाय तो वह किसी विधि के उपबन्धों को निष्फल कर देगा, कपट पूर्ण है। दूसरे की शरीर व सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, या न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझता है तो वह करार अवैध होता है। ये करार अप्रभावकारी या अप्रवर्तनीय होते हैं। जैसे- तिरस्कृत की गई अफीम खरीदने का करार

(5) अप्रवर्तनीय करार (unenforceable Agreement)
→ यदि कोई करार प्रक्रियात्मक विधि जैसे मर्यादा अधिनियम के द्वारा लागू किये जाने योग्य नहीं है वह unenforceable Agreement होता है। यद्यपि ये करार मान्य होते हैं, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रमाण योग्य नहीं होते। अतः न्यायालय में unenforceable होते हैं।

Scanned with CamScanner